न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 38/2021 वाद
GCMS NO.- 2021/68

कमलसिंह पिता नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत आयु 28 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

1. पारसकुंवर पत्नी श्री नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत आयु 48 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. संतोष पुत्री नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत आयु 26 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. ममता पुत्री नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत आयु 24 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. शैतानसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत आयु 22 वर्ष निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

श्री नाहरसिंह छाजेड़, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांकः– 15.06.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 895 की आराजी नं. 1449 रकबा 1.1000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता नरेन्द्रसिंह राजपुत के जमाने से चली आ रही है। नरेन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह राजपुत का देहान्त आज से करीब 16 वर्ष पूर्व हो गया हैं। नरेन्द्रसिंह के वैध उत्तराधिकारी वादी कमलसिंह, प्रतिवादी नं0 1 पारसकुंवर उनकी बेवा, प्रतिवादी नं0 2 व 3 संतोष, ममता उनकी पुत्रियां एवं प्रतिवादी नं0 4 शैतानसिंह उनका पुत्र हुये। वादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता नरेन्द्रसिंह राजपुत के जमाने से चली आ रही है। नरेन्द्रसिंह राजपुत के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से विरासत से दर्ज करते समय वादी का नाम कमलसिंह के बजाय हैप्पीसिंह सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादी का सभी पहचान के आवश्यक दस्तावेजात में वादी का शुरू से कमलसिंह दर्ज चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादीगणों को

वादग्रस्त आराजीयात में वादी का नाम हैप्पीसिंह के बजाय कमलसिंह घोषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये है। इसलिए मजबूर होकर यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त खाता संख्या 895 की आराजीयात में वादी का नाम हैप्पीसिंह के बजाय कमलसिंह घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें वादी के कथनों को स्वीकार किया। वादी एवं प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा राजीनामें अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनाम तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने ग्राम मांगरोल प०ह० मांगरोल की नकल जमाबन्दी संवत 2077-80 खाता संख्या 895 की एवं जमाबन्दी संवत् 2058-61, नामान्तरकरण संख्या 2018 एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। नामान्तरकरण संख्या 2018 द्वारा नरेन्द्रसिंह की विरासत का नामान्तरकरण खोला गया जिसमें वादी का नाम हैप्पीसिंह पिता नरेन्द्रसिंह अंकित हैं। वर्तमान जमाबन्दी में भी वादी का नाम हैप्पी सिंह पिता नरेन्द्रसिंह अंकित है। वाद के समर्थन में वादी ने अन्य दस्तावेज में संरपंच ग्राम पंचायत मांगरोल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एवं आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंन्स, रा०उ०प्रा०वि० रेवलिया कलां जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी टी०सी, भामाशाह कार्ड, पेनकार्ड, ICICI BANK खाते का स्टेटमेन्ट आदि की फोटोप्रति पेश की हैं जिसमें वादी का नाम कमलसिंह अंकित हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार सदस्य है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन प्रस्तुत आवश्यक सभी दस्तावेजों में वादी का नाम कमलसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत अंकित है इसलिए वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नरेन्द्रसिंह की विरासत दर्ज करते समय सहवन से कमलसिंह के बजाय हैप्पीसिंह दर्ज हो गया है। वादी अपना नाम वादग्रस्त आराजीयात में हैप्पीसिंह के बजाय कमलसिंह दर्ज कराना चाहता है। अतः वादी का नाम वादग्रस्त आरजीयात में हैप्पीसिंह के बजाय कमलसिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उभयपक्ष ने भी राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात मौजा मांगरोल की खाता संख्या 895 की आराजी नम्बर 1449 रकबा 1.1000 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम हैप्पीसिंह के बजाय कमलसिंह दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी। वादी का दावा राजीनामा अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 895 की आराजी नं. 1449 रकबा 1.1000 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी

भूमि में वादी का नाम हैप्पीसिंह के बजाय कमलसिंह घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत रखा जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official